

सं.021/सीवीओ/01
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली,
दिनांक: 04.04.2022

परिपत्र संख्या 12/04/22

विषय:- मुख्य सतर्कता अधिकारियों के डेटाबेस का अद्यतनीकरण।

आयोग ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से डेटा प्राप्त करने के बाद मुख्य सतर्कता अधिकारियों का एक डिजिटल डेटाबेस बनाया है। यह डेटाबेस, पूर्णकालिक और अंशकालिक दोनों मुख्य सतर्कता अधिकारियों के संबंध में उनकी पद स्थिति/रिक्ति, उनके कार्यकाल, सेवा संरचना, स्थान आदि के बारे में वास्तविक-समय रिपोर्ट तैयार करता है।

2. डेटाबेस में विद्यमान अनुसार आयोग, सभी संबंधित संगठनों के साथ डेटाबेस को साझा करना चाहता है। इसके लिए हमें डेटा को इंटरनेट से इंटरनेट तक भेजने की आवश्यकता होगी। तब तक के लिए, डेटा की एक पीडीएफ फाइल बनाई गई है, जिसे देखा जा सकता है।

3. डेटा-बेस की उपयोगिता, उसके नियमित अपडेशन पर निर्भर करती है, जिसके लिए संगठन का नाम, मुख्य सतर्कता अधिकारी का नाम, सेवा/बैच, कार्यकाल, संपर्क विवरण आदि सूचना की आवश्यकता तब होगी, जब कभी मुख्य सतर्कता अधिकारी के पदभार में कोई परिवर्तन हो। इस उद्देश्य के लिए, संबंधित संगठनों को जानकारी साझा करने के लिए एक विशेष मेल-आईडी (cvo.iem-cvc@gov.in) बनाई गई है।

4. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से अनुरोध है कि वे पूर्णकालिक और अंशकालिक दोनों तरह के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के डेटाबेस के संलग्न पीडीएफ संस्करण को ध्यान से देखें और ईमेल आईडी पर निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें ताकि आयोग डेटा-बेस अद्यतन कर सके :

- i. ध्यान में आई किसी भी विसंगति के मामले की सूचना दी जाए।
- ii. यदि मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत किसी संगठन को जोड़ा/हटाया जाता है, तो उसकी सूचना दी जाए।
- iii. नए मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्य ग्रहण करने के मामले (या) मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यकाल के विस्तार के मामले की नियमित रूप से रिपोर्ट की जाए।

हो/-
(एम.जानकि)
निदेशक

संलग्न : सीवीओ डेटा-बेस का पीडीएफ संस्करण (पूर्णकालिक और अंशकालिक)

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/ सीपीएसयू/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां/स्वायत्त निकाय आदि- ईमेल के माध्यम से।

प्रति

आईटी प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सतर्कता आयोग- परिपत्र को वेबसाइट में अपलोड करने के लिए।